

जिला पंचायत कार्यालय

कृषि अनुभाग

दमण

सं.कृषि.अनु./जि.प./दमण /कृ.प्र.कार्यक्रम/2013-14/64

दिनांक : 06/08/2013

निविदा सूचना / कोटेशन नोटिस

दमण एवं दीव, संघ प्रदेश कृषि अनुभाग, जिला पंचायत, दमण की ओर से किसान शिबीर /क्षेत्र निर्दर्शन/किसान प्रवास में खान-पान सेवा निम्नानुसार आपूर्ति करने के लिए निर्धारित व्यक्तियों / फार्म / संगठनों / होटलों से एतदद्वारा मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं : विवरण संलग्न हैं ।

क्रम सं.	विवरण	अंदाजीत मात्रा	EMDs राशि
1.	<p>किसान शिबीर / क्षेत्र निर्दर्शन / किसान प्रवास कार्यक्रमों के दौरान खान-पान सेवा उपलब्ध कराना :-</p> <p>चाय: दिन में दो बार (दुध/पानी का अनुपात=50:50)</p> <p>नास्ता (शाकाहारी) : निम्नलिखित शामिल - पौवा / खम्म / सिरा /उपमा: कोई एक; फल:केला/पीता/संतरा/अमरुद: कोई एक :</p> <p>दोपहर का भोजन (शाकाहारी) : निम्नलिखित शामिल :</p> <p>गेहूँ की रोटी/ गेहूँ की पुरी, पका हुआ चावल, दाल / दाल फाई,</p> <p>सब्जी : 01 हरी और 01 दाल, हरा सलाद, सह मुखवास :</p> <p>रात्रि भोजन (शाकाहारी) : निम्नलिखित शामिल - गेहूँ की रोटी/ गेहूँ की पुरी, पका हुआ चावल, दाल / दाल फाई, सब्जी : 01 हरी और 01 दाल, हरा सलाद सह मुखवास :-</p>	550 व्यक्तियों के लिए एक या कई अवसरों पर माँगे जा सकते हैं ।	NIL

निबंधन एवं शर्तें :-

- रुचि रखनेवाली एजन्सीयों को अपना प्रस्ताव/ अपनी दरें पत्रशीर्ष पर सह हस्ताक्षर एवं मुहर सहित प्रस्तुत करना होगा ।
- दरों के अतःगत परिवहन सह सभी दरे शामिल होनी चाहिए ये 31 मार्च 204 तक वैध होना चाहिए ।
- रुचि रखनेवाले पक्षों /एजन्सीयों को कृषि अनुभाग, जिला पंचायत द्वारा एक सप्ताह की पूर्व सूचना पर कभी भी माँगे जाने पर, बागबानी फार्म/प्रशिक्षण स्थान या निर्दिष्ट स्थानों पे खान-पान सेवा मुहैया करने का समर्थन होना चाहिए । उक्त खान-पान सेवा 31 मार्च 2014 को समाप्त अवधी के दौरान एक या कई अवसरों पर माँगे जा सकते हैं ।
- खान पान आपूर्तिकर्ता- प्रशिक्षण शिबीर किशन मेला स्थानों पे किसान प्रवास/ क्षेत्र निर्दर्शन/खाना पकाकर या अन्य प्रकार से आपूर्ति करके परोस सकते हैं । जैसा उन्हें उपुक्त लगे, परंतु खानपान आपूर्तिकर्ता को ताजा- स्वास्थ्यकर एवं स्वच्छ भोजन देना होगा । प्रति व्यक्ति दिये जानेवाले बुनियादी खाद्य मटों की मात्रा असीमित होगी । आपूर्तिकर्ता को सेवाये खान पान-दायरे के साथ उसकी न्यायवाली लागू होगी ।
- खान पान-सेवा विभाग द्वारा दिये गये विनिर्देशों के अनुरूप होने चाहिए । विभाग द्वारा दिये गये विनिर्देशों के अनुरूप न होने पर इन्हें अस्वीकार कर दिया जायेगा ।
- आपूर्ति किये जानेवाले मटों की संख्या में बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन हो सकता है ।
- मटों को प्राप्त करने के बाद तथा सबन्धित प्राधिकारी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. के संतुष्ट होने पर ही सीधा बैंक खाता में भुगतान किया जायेगा । किसी भी प्रकार का भूगतान आगे से नहीं किया जाएगा ।
- उक्त निविदाएँ इस कार्यालय में दिनांक 21/08/2013 को 12.00 बजे तक मुहरबंद लिफाफे में पहुँच जाना चाहिए । और लिफाफे पर बड़े अक्षरों में 'कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान खान-पान सेवा उपलब्ध कराने हेतु निविदा' लिखा होना चाहिए । इन्हें संभव होने पर निविदाकर्ताओं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों, यदि कोई हो, की उपस्थिति में उसी दिन मध्याहन बाद 03.00 बजे खोला जायेगा ।
- इस नोटिस की निबंधन एवं शर्तें तथा इस संबंध में इस कार्यालय द्वारा आगे निर्धारित निबंधन एवं शर्तें भी रुचि रखनेवाले पक्षों को स्वीकार्य होगा । इस परियोजना के अलग से करार नहीं किया जायेगा ।
- किसी या सभी निविदाओं को अस्वीकार या स्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. को सुरक्षित होगा ।
- इस कार्य से संबंधित सभी विवाद संघ प्रदेश दमण एवं दीव में उचित न्यायालंप्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा ।

(के. एस. चौहाण)

उप निदेशक (लेखा)/आ.स.अ.

जिला पंचायत, कृषि अनुभाग,
मोठी दमण ।**प्रतिलिपि :-**

- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, दमण ।
- निजी सचिव, अध्यक्ष जिला पंचायत, दमण को सूचनार्थ ।
- सभी कार्यालय/अनुभाग जिला पंचायत, दमण को व्यापक प्रचार के लिए अनुरोध सहित ।
- जिला सूचनाविज्ञान अधिकारी, सचिवालय, दमण को सरकारी वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित ।
- नोटिस बोर्ड / संबन्धित गार्ड फाइल ।